"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016—— आषाढ़ 10, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2016

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 3-04/2013/32.—— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-09-2013 द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उन खरीदी, विक्रय करार एवं विनियमन के करार को, जिनके द्वारा भूमि को शासकीय अभिकरण अर्थात् रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा खरीदा गया था, अधिसूचित करते हुए उक्त अधिनियम के अंतर्गत विधिमान्य समझे जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है. उक्त अधिसूचना की सारणी में ग्राम पंडरीतराई प.ह.नं. 109 के सरल क्रमांक 1 एवं 3 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

सारणी

स. क्र.	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ग्राम पण्डरीतराई प.ह.नं. 109	1/1	विलोपित
3.	तदैव	2/2	0.351

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.